मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत निज सचिव एवं शीघ्रलेखक–निज सहायक प्रवर्ग के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि– 01/03/2011

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत **निज सचिव के एक एवं शीघ्रलेखक–निज सहायक के एक नियमित रिक्त पद** पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं नियत प्रारूप में आवेदन पत्र वांछित सहपत्रों सहित मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर प्रेषित किये जायें ।

(1) पदनाम, पद संख्या, वेतनमान एवं अनिवार्य शैक्षणिक अर्हतायें–

पद नाम	रिक्त पद संख्या	वेतनमान	शैक्षणिक एवं अनिवार्य अर्हता
माननीय कार्यपालक अध्यक्ष का निज सचिव	01	9,300–34,800 + 4,200 ग्रेड पे एवं म0प्र0शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते।	1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय मे स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिये । 2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से अग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 3– मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से अग्रेजी मुद्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। **(हिन्दी मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन उत्तीर्ण अभ्यार्थी को प्राथमिक्ता दी जायेगी)।** 4– मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निम्नलिखित संस्था से कम्प्युटर एप्लीकेशन परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है:– 1- PGDCA from Universities recognized by UGC. or 2- PGDCA from all Open Universities recognized by UGC.,0r 3- PGDCA level examination from DOEACC.,or 4- Modern office Management Course from Govt.Polytechnic College.
सदस्य सचिव का शीघ्रलेखक–निज सहायक	01	5200–20200 + ग्रेड–पे 2,800 एवं म0प्र0शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते।	मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण–पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण, **शेष अहर्तायें उपरोक्तानुसार**

टीप:–उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हतायें आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

(2) आयु की गणना दिनांक 1.2. 2011 को **18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है** , उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी –

1–पुरूष आवेदक (सामान्य वर्ग) 35 –वर्ष
2–महिला आवेदक (सामान्य वर्ग) 45 –वर्ष

नोट:– **(1) शासकीय सेवारत कर्मचारियों ,विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों का मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जायेगी ।**

(2) निज सचिव एवं शीघ्रलेखक–निज सहायक के पद एकांगी होने से आरक्षण/रोस्टर प्रणाली प्रभावशील नही होगी। सभी वर्ग के अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों पर अनराक्षित प्रवर्ग के तहत विचार किया जायेगा ।

............2

(1) प्रारंभिक परीक्षा – (100 अंक) (अभ्यार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में)

सामान्य ज्ञान (40 अंक), **सामान्य हिन्दी व सामान्य अंग्रेजी** (15 – 15 अंक) एवं कम्प्यूटर ज्ञान (30 अंक) का वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र होगा । प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यार्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तरों को चिन्हित करने हेतु पृथक से एक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जावेगी जिसमें अभ्यर्थी प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर का चुनाव कर काली स्याही के वाल पेन से गोला बनाकर अपना उत्तर अंकित करेंगे । **प्रांभिक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यार्थी को न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्धारित न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों में से सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता एवं उससे घटते कम से केवल 7 (सात) अभ्यार्थियों को ही मुख्य परीक्षा के लिये आहूत किया जायेगा।**

(2) मुख्य परीक्षा –

(1) निज सचिव एवं शीघ्रलेखक–निज सहायक पद हेतु – अंग्रेजी शीघ्रलेखन (100 अंक)

नोटः–**(1)** मुख्य परीक्षा में निज सचिव एवं शीघ्रलेखक पद हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों को पांच मिनिट में 500 शब्दों का डिक्टेशन दिया जायेगा जिसके टंकण हेतु 30 मिनिट का समय पृथक से दिया जायेगा । अर्थात उक्त परीक्षण 35 मिनिट का रहेगा ।

(2) वांछित अभ्यर्थियों के नहीं मिलने पर उक्त न्यूनतम अर्हताकारी अंकों की शर्त को माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा शिथिल किया जा सकेगा अथवा योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर पदों को रिक्त रखा जाकर पुनः विज्ञापित किया जावेगा ।

(3) प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों की गणना मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम योग्यताकम निर्धारित करने में नहीं की जावेगी ।

(स) साक्षात्कार – (25 अंक) (न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा)

साक्षात्कार के समय चयन समिति के समक्ष समस्त अर्हताकारियों को मूल प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

(3) चयन एवं अभ्यर्थियों के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :–

(1) अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है । **(2)** वही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 द्वारा निर्धारित समस्त मापदण्डों की पूर्ति करते हो एवं नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये अपात्र न हो । **(3)** शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाणपत्र सलंग्न करना अनिवार्य है । **(4)** प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को आवागमन व्यय एवं आहार भत्ता देय नही होगा । **(5)** मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन कौशल परीक्षण हेतु टायपिंग मशीन लाने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का होगा , म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा टायपिंग मशीन उपलब्ध नहीं करायी जावेगी ।**(6)** आवेदन पत्र कम्प्यूटर मुद्रित या टाईप कराया जाये, जो कि नियत प्रारूप में दो पृष्ठों वाला (फुल स्केप पेपर) हो तथा समस्त पूर्तियां स्वच्छ हस्तलिपि में कर, निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किये जावें । अपूर्ण अथवा अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे । **(7)** चयन प्रकिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को रहेगा **(8)** यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी , जिस पर कोई पत्राचार मान्य नही होगा । **(9)** आ.जा., अनु.ज.जाति एवं अ.पि. वर्ग के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा जारी परिपत्र कमांक 07–26/96/अ–प्र/1 दिनांक 01.08.1996 एवं कमांक एफ 7–2/96/अ–प्र/1 दिनांक 12.02.1997 में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें परन्तु उनकी अभ्यर्थिता अनराक्षित प्रवर्ग के तहत

........3

विचार में ली जावेगी । (10) विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि के पूर्व एवं अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

(11) आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी को अपना पासपोर्ट साईज का नवीनतम छायाचित्र चस्पा करना आवश्यक है एवं उसे स्वयं प्रमाणित करें । (12) निज सचिव एवं शीघ्रलेखक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें । **(13) अभ्यार्थियो को परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बैबसाइट www.mpslsa.nic.in पर प्रसारित की जायेगी तथा राज्य प्राधिकरण कार्यालय के प्रांगण मे लगे सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी । अर्थात अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद कमवार – प्रारंभिक परीक्षा हेतु पात्र उम्मीदवारो की सूची, परीक्षा की तिथि,समय व स्थान एवं उसका परिणाम, मुख्य परीक्षा हेतु पात्र उम्मीदवारो की सूची परीक्षा की तिथि,समय व स्थान एवं उसका परिणाम साक्षात्कार हेतु पात्र उम्मीदवारो की सूची ,साक्षातकार हेतु तिथि,समय व स्थान तथा अंतिम परिणाम आदि की समस्त जानकारी कार्यालय बैबसाईट www.mpslsa.nic.in पर ही समय–समय पर प्रसारित की जायेगी तथा राज्य प्राधिकरण कार्यालय के प्रांगण मे लगे सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी । अभ्यार्थियो को प्रथक से कोई जानकारी अथवा सूचना नही भेजी जायेगी।**

(14) आवेदन पत्र के लिफाफे पर निज सचिव एवं शीघ्रलेखक के नियमित रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु टीप अंकित कर प्रेषक के रूप में हाशिए में अपना नाम एवं पता भी लिखें ।

500 शब्दों का लिखित पत्र दिया जायेगा जो 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से पॉच मिनिट मे टंकित (टाईप) करना अनवार्य होगा । (15) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण कमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः प्रस्तुत करे। (16) कोई भी जानकारी छुपाने अथवा गलत देने पर आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। (17) किसी भी नियम/शर्त मे किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा शंका होने की स्थिति मे या किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति मे कार्यपालक अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

सदस्य–सचिव